



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 312]	नई दिल्ली, सोमवार, मई 20, 2019/वैशाख 30, 1941
No. 312]	NEW DELHI, MONDAY, MAY 20, 2019/VAISAKHA 30, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2019

**सा.का.नि. 373(अ)---**केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु केंद्रीय सरकार प्रस्ताव करती है, जिसे इस अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व, जिसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित रूप में उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, इसे ध्यान में रखा जाएगा।

उक्त प्रारूप नियमों की बाबत, जो किसी व्यक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व विचार किया जाएगा।

यदि इस प्रारूप नियम की बाबत कोई आक्षेप या सुझाव हो, उसे उपर्युक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर संयुक्त सचिव (एम वी एल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद् मार्ग, नई दिल्ली भेजा जाएगा।

प्रारूप नियम

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (.....संशोधन) नियम, 2019 है।
- (2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में, नियम 126 में, शब्द और कोष्ठकों "या वैश्विक आटोमोटिव अनुसंधान केंद्र चेन्नई" के बाद निम्नलिखित शब्द और कोष्ठक, अंतःस्थापित किया जाएगा :-  
"या राष्ट्रीय आटोमोटिव टेस्ट ट्रैक, इंदौर से";

[सं. आरटी-11028/10/2018-एमवीएल]

प्रियांक भारती संयुक्त सचिव

**टिप्पणः**--मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. सा.का.नि.....(अ), तारीख.....द्वारा संशोधित किए गए थे।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 2019

**G.S.R. 373(E)**---The following draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), email : [jspb-morth@gov.in](mailto:jspb-morth@gov.in), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

### DRAFT RULES

- (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (.....Amendment) Rules, 2019.
- (2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 126, after the words and brackets “or from Global Automotive Research Centre, Chennai” the following shall be inserted, namely:-  
“or the National Automotive Test Tracks, Indore”.

[F. No. RT-11028/10/2018-MVL]

PRIYANK BHARTI Jt. Secy.

**Note**—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2<sup>nd</sup> June, 1989 and lastly amended *vide* notification number \_\_\_\_\_ dated.